



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त/Accredited with 'A' Grade by NAAC

डॉ. शोभा पालीवाल / Dr. Shobha Paliwal

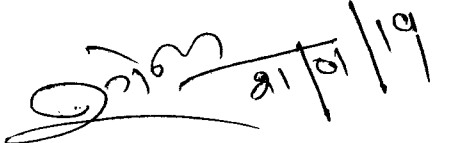
समन्वयक आईक्यूएसी/ Coordinator-IQAC

दूरभाष/Phone: +91 7387812625

पत्रांक : 062/2019-20/IQAC-AA/01/340
दिनांक : 21 जनवरी 2019

सूचना

सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय का तीन वर्षों (अकादमिक सत्र 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18) का अकादमिक ऑडिट दिनांक 11-12 फरवरी 2019 को बाह्य विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया जाना सुनिश्चित है। अतः समस्त विभागाध्यक्षों/केंद्र निदेशकों/प्रभारियों से अनुरोध है कि वे अपने विभाग/केंद्र में दस्तावेजों एवं पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति तैयार रखें।
विभाग/केंद्र में दस्तावेजों एवं पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति का जायजा लेने के लिए शीघ्र ही स्थानीय समिति के सदस्य निरीक्षण दौरा करेंगे।


शोभा पालीवाल

प्रति :

समस्त विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/प्रभारी।

प्रतिलिपि :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. प्रभारी लीला-वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. कार्यालय प्रति